

## निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: ४७८-२१ / स०क० / अनु० / स्वै०सं० / २०१७-१८

लखनऊ: दिनांक: १८ अक्टूबर, 2017

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
अलीगढ़।

विषय-स्वैच्छिक संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोया बादशाहपुर, पोर्ट खास, एटा द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों के बच्चों हेतु सिलाई, कढाई, बुनाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय विद्यालय, मोबाइल डिस्पेन्सरी, 10 वेड हास्पिटल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री रामबाबू पूर्व प्रधान, अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति ग्रा० व पो० लोया बादशाहपुर एटा के पत्रांक-643 दिनांक 10.10.2017 द्वारा भारत सरकार की योजनान्तर्गत सिलाई कढाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, अनावासीय विद्यालय मोबाइल डिस्पेन्सरी, 10 वेड हास्पिटल, ब्यूटी पार्लर, विडियो फोटोयाफी प्रशिक्षण केन्द्रों को संचालित किये जाने के लिए सीधे प्रार्थना पत्र निदेशालय को प्रेषित किया गया है। संस्थाध्यक्ष के उक्त पत्र दिनांक 10.10.2017 के साथ संलग्न समर्त अभिलेखों को मूलरूप में संलग्नक कर इस आशय से व्येष्टि किया जा रहा है कि संस्थाध्यक्ष के उक्त पत्र दिनांक 10.10.2017 के बिन्दु ०१ से ०७ पर अधिकतम उम्मत एवं संदेशित प्रस्ताव संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार समर्त औपचारिकताव से अभिलेखों व पूर्ण करने हुए प्रत्येक योजना का अलग-अलग अनुदान वर्तमान ३१/३२ बिन्दुओं की संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ जिलाधिकारी की स्पष्ट व्यक्ति सहित ऑफिलाइन के माध्यम से तथा हार्डकापी दो प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार मूलरूप में।

(पी०सी० उपाध्याय)  
अपर निदेशक।

उपरोक्ति—श्री रामबाबू पूर्व प्रधान, अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति बादूजी नार्कट वैष्णो धाम के सामने एटा चूंगी जी०टी० राउ अर्टी०८० दूरवार्ता प्रेषित।

(पी०सी० उपाध्याय)  
अपर निदेशक।



संख्या—<sup>136</sup> भा०स० / 60-3-12-3(9) / 09

प्रेषक,

ए०पी० सिंह,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में

निदेशक,  
महिला कल्याण, उ०प्र०,  
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग—३

लखनऊः दिनांकः २३ अगस्त, 2012

विषयः—

स्वैच्छिक संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जनपद फरुखाबाद का जनपद मैनपुरी हेतु सामान्य सहायता प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या—16-72/2011-सी०एस०डब्ल्यू०बी०, दिनांक 3-8-2012 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्था के सामान्य सहायता प्रस्ताव के संबंध में मांगी गई आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(ए०पी० सिंह)  
अनु सचिव।



भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सामान्य सहायता योजना के प्रस्तावों के संवीक्षण एवं उसके संबंध में राज्य सरकार की संस्तुति प्रदान करने के लिए प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय शक्ति सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 01.07.2011 का कार्यवृत्त।

भारत सरकार द्वारा सामान्य सहायता योजना के प्रस्तावों के संवीक्षण एवं उसके संबंध में राज्य सरकार की संस्तुति प्रदान किए जाने हेतु गठित राज्य स्तरीय शक्ति सम्पन्न समिति की बैठक प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2011 को सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया –

- 1- श्री इन्द्रपाल कन्नौजिया, महाप्रबन्धक, महिला कल्याण निगम, लखनऊ ।
- 2- सुश्री साहिबा हुसैन, स्वैच्छिक संस्था बेटी फाउण्डेशन, लखनऊ ।
- 3- डॉ निर्मला, वीनस विकास संस्थान, अलीगंज, लखनऊ
- 4- श्री रणधीर कुमार सिंह, सचिव, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, उ०प्र०
- 5- श्री बिहारी स्वरूप, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० महिला कल्याण निगम / निदेशक, महिला कल्याण – सदस्य संयोजक ।

सदस्य संयोजक द्वारा समिति के विचारार्थ योजनान्तर्गत 02 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिस पर समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गए –

क्र.सं.	संस्था का नाम	प्रस्तावित स्थल / कार्यक्रम / ला०सं०	समिति का अभिमत / निर्णय
1	जन समाज कल्याण ग्रामोद्योग विकास सेवा समिति, उन्नाव ।	प्र०स्थल-सिकन्दरपुर, उन्नाव प्र० कार्यक्रम-ईट भट्ठों पर कार्यरत बच्चों को बेसिक शिक्षा एवं दिप्ति देखभाल केन्द्र । ला०सं०-300	समिति द्वारा संस्था के प्रस्ताव पर विचार किया गया । सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया ।
2	भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	प्र० स्थल-मैनपुरी, प्र०कार्यक्रम-गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-थापन करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षा एवं मनोरंजक कार्यक्रम, ला०सं०-600	प्रस्ताव शासन स्तर से बैठक में प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा संस्था के प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

( बिहारी स्वरूप )  
निदेशक,  
महिला कल्याण, उ०प्र०

( बलविन्दर कुमार )  
प्रमुख सचिव,  
महिला एवं बाल विकास विभाग ।

प्रेषक,

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्लखाबाद।

सेवा में,

निदेशक  
महिला कल्याण  
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांकः—

/प्र०का०/स्वयं सेवी संस्था/2008-09 दिनांक /७.४.११

विषयः—

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोधोग विकास समिति, जय नरायण वर्मा रोड फतेहगढ़—फर्लखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, 3/54 जंगबाज खॉ निकट नखासा चौकी, फर्लखाबाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोधोग विकास समिति, जय नरायण वर्मा रोड फतेहगढ़—फर्लखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, 3/54 जंगबाज खॉ निकट नखासा चौकी, जनपद—फर्लखाबाद का 100 छात्र/ छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी मेरे द्वारा जॉच की गई है उक्त संस्था पूर्ण रूप से प्रस्तावित है। जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आप से निवेदन है कि उक्त संस्था के लिए अनुदान दिये जाने हेतु प्रबल संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राम अनुराग वर्मा)  
जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्लखाबाद।

प्र०सं० ५९५.९६ / उपरोक्त तदिनांक

प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष, आर०बी०वर्मा, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोधोग विकास समिति, जय नरायण वर्मा रोड फतेहगढ़— फर्लखाबाद।

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्लखाबाद।

प्रेषक,

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्स्टखाबाद।

सेवा में,

निदेशक  
महिला कल्याण  
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक:-

/प्रो०का०/ स्वयं सेवी संस्था / 2008-09 दिनांक 1८.८.८

विषय:-

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोधोग विकास समिति, जय नरायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़-फर्स्टखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सिंलारचौरा पो० खुदागंज फर्स्टखाबाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोधोग विकास समिति, जय नरायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़-फर्स्टखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सिंलारचौरा पो० खुदागंज जनपद- फर्स्टखाबाद का 100छात्र/ छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी मेरे द्वारा जाँच की गई है उक्त संस्था पूर्ण रूप से प्रस्तावित है। जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आप से निवेदन है कि उक्त संस्था के लिए अनुदान दिये जाने हेतु प्रबल संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राम अनुराग वर्मा)  
जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्स्टखाबाद।

प्र०सं०/ ५९९-६८/ उपरोक्त तिथि

प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष, आर०बी०वर्मा, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोधोग विकास समिति, जय नरायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़- फर्स्टखाबाद।

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्स्टखाबाद।

प्रेषक,

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्स्टखाबाद।

सेवा में,

निदेशक  
महिला कल्याण  
उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक:-

/प्र०का०/स्वयं सेवी संस्था/2008-09 दिनांक १०.८.४

विषय:-

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोधोग विकास समिति, जय नरायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़—फर्स्टखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कुआखेड़ा—अजमतपुर, कायमगंज जनपद— फर्स्टखाबाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोधोग विकास समिति, जय नरायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़—फर्स्टखाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कुआखेड़ा—अजमतपुर, कायमगंज जनपद— फर्स्टखाबाद का 100छात्र/ छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी मेरे द्वारा जॉच की गई है उक्त संस्था पूर्ण रूप से प्रस्तावित है। जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियो में संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आप से निवेदन है कि उक्त संस्था के लिए अनुदान दिये जाने हेतु प्रबल संस्तुति की जाती है।

जांचनक:- उपरोक्तानुसार

प्र०स०/ ६०५-०८ / उपरोक्त तदिनांक

प्रतिलिपि:-  
अध्यक्ष, आर०बी०वर्मा, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोधोग विकास समिति, जय नरायण वर्मा रोड़ फतेहगढ़— फर्स्टखाबाद।

भवदीय

(राम अनुराग वर्मा)  
जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्स्टखाबाद।

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
फर्स्टखाबाद।

प्रेषण,

जिला प्रोवेशन अधिकारी

स्टा।

लेखार्थी,

निदेशक,

महिला जन्याप उम्हू

लखनऊ।

पत्रांक 1925 /प्रोफा०/संवयं संस्था/ 2008-09/दि० ०२-११०८

चित्त:- भारतीय ग्रामीण केन्द्र ग्रामधोग विकास तमिति  
जयनारायण वर्मा रोड लोग्ह रोड पर्खापाद द्वारा  
जनपद शाया सर्व जिला अभियान के अन्तर्गत जनता  
कुपार जिला एवं अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र अवाग्नि  
हाउस स्टा जनपद स्टा के प्रस्ताव के संबंध में।

\*\*\*\*\*

महोदय,

उपर्युक्त विद्यक भारतीय ग्रामीण केन्द्र ग्रामीण उद्योग  
विकास तमिति जयनारायण वर्मा रोड पर्खापाद द्वारा जनपद  
शाया अवाग्नि हाउस स्टा का 100 छात्र/छात्राओं के लिये  
अधिकारी प्रशिक्षण देहु प्रस्ताव हुआ है जिसकी मेरे द्वारा चाँच  
की गयी है। उक्त सेवा पूर्ण रूप से प्रस्तावित है। जिसके सम्बन्ध  
अभियोग इस पत्र के लाय तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है। अतः  
आपके निषेदन है कि उक्त के लिये अनुबान दिये जाने देहु प्रकल्प  
संस्थान की बाती है।

लिङ्गमङ्क:- अपरोक्षानुसार।

मन्दीर

॥ श्री. एन. तिलारी ॥

जिला प्रोवेशन अधिकारी

प्रधान शोबेशन अधिकारी

स्टा।

पत्रांक /तदृदिनीक

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष आरोवी उपर्युक्त भारतीय ग्रामीण केन्द्र ग्रामधोग  
विकास तमिति जयनारायण वर्मा रोड लोग्ह पर्खापाद।

120/11/08

जिला प्रोवेशन अधिकारी

स्टा।

प्रधान शोबेशन अधिकारी

एव्व

जिला प्रोवेशन अधिकारी,  
एटा

सेवा में,

निदेशक,  
महिला कल्याण उ० प्र०  
लखनऊ

पत्रांक:- २०२४ / प००का० / स्वै० संरथा / 2008-09 दिनांक:- ०३. १८. ५४

विषय:- भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जयनरायण वर्मा रोड फतेहगढ़, फर्लखाबाद द्वारा जनपद शाखा सामान्य सहायता के अन्तर्गत जनता सुधार, एवं  
प्रशिक्षण केन्द्र:- भलौल रोड कस्बा, जैथरा जनपद एटा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जयनरायण वर्मा रोड फतेहगढ़, फर्लखाबाद द्वारा जनपद शाखा समान्य सहायता के अन्तर्गत जनता सुधार, एवं  
प्रशिक्षण केन्द्र हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसकी मेरे द्वारा जॉच की गयी उक्त संरथा प्रस्तावित है।  
जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजे जा रहे हैं।

अतः उक्त संरथा के लिए अनुदान स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय

(टी० एन० तिवारी)

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
जिला प्रोवेशन अधिकारी  
एटा

पत्रांक:- तददिनांक।

प्रतिलिपि— अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जयनरायण वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्लखाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला प्रोवेशन अधिकारी

जिला प्रोवेशन अधिकारी  
एटा

प्रेषकः—

जिला प्रोबेशन अधिकारी,  
एटा ।

सेवा में

निदेशक  
महिला कल्याण उ० प्र०  
लखनऊ ।

पत्रांक :— / प००का० / स्व० संस्था / 2008-09 दिनांक :—

विषयः—

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जय नरायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, फर्स्टखाबाद द्वारा जनपद शाखा सामान्य सहायता के अन्तर्गत जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र — ग्राम बघौली विकास खण्ड जैथरा जनपद—एटा, ग्राम—लोया बादशाहपुर विकास खण्ड —शीतलपुर जनपद—एटा मोहल्ला अवागढ़ हाउस जनपद एटा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति के अन्तर्गत जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसकी मेरे द्वारा जांच की गयी उक्त संस्था प्रस्तावित है अजिसके समर्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजे जा रहे हैं ।

अतः उक्त संस्था के लिये अनुदान स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है ।

संलग्नक :— उक्तानुसार ।

भवदीय

(टी०एन०तिवारी)  
जिला प्रोबेशन अधिकारी,  
एटा ।

पत्रांक :— तददिनांक ।

प्रतिलिपि अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जयनरायण वर्मा रोड, फतेहगढ़ फर्स्टखाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला प्रोबेशन अधिकारी,  
एटा ।

प्रेषक,

जिला प्रोवेशन अधिकारी

जनपद एटा

सेवा में,

निर्देशक ,

महिला कल्याण उ० प्र०

लखनऊ ।

पत्रांक १२५ प्र० का० / स्वयं संस्था / २००८-०९ / दि० ०८ - ११ - ०७

विषय:- भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामद्योग विकास समिति जयनारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ रोड फरुखाबाद द्वारा जनपद शाखा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम लोयाबादशाहपुर पोस्ट खास विकास खण्ड शीतलपुर जनपद एटा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण उद्योग विकास समिति जयनारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ फरुखाबाद द्वारा जनपद शाखा ग्राम लोयाबादशाहपुर पोस्ट खास विकास खण्ड शीतलपुर का 100 छात्र/छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव हुआ है जिसकी मेरे द्वारा जांच की गयी है। उक्त संस्था पूर्ण रूप से प्रस्तावित है। जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है। अतः आप से निवेदन है कि उक्त के लिए अनुदान दिये जाने हेतु प्रबल संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिला प्र० विश्वन० अधिकारी  
जनपद एटा  
जिला प्रोवेशन अधिकारी  
एटा

पत्रांक:-

/ तददिनॉक

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष आर०बी० वर्मा भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामद्योग विकास समिति जयनारायण वर्मा  
रोड फतेहगढ़ फरुखाबाद

०८/११/०७  
जिला प्रोवेशन अधिकारी

जिला प्र० विश्वन० अधिकारी  
जनपद एटा



प्रेषक,

जिला प्रोबेशन अधिकारी  
बदायूँ।

सेवा में

निदेशक,  
महिला कल्याण  
उत्तर-प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक विषय:- /जि०प्र०कार्य०/ स्वयं सेवी सस्था /2008-09 दिनांक १९-११-२००८  
भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जय नरायण वर्मा रोड  
फतेहगढ़-फर्स्खाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं  
व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, धनारी पो०धनारी, वि०ख० रजपुरा,  
जनपद बदायूँ के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति जय नरायण वर्मा रोड फतेहगढ़-फर्स्खाबाद द्वारा जनपद शाखा जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, धनारी पो०धनारी, वि०ख० रजपुरा, जनपद बदायूँ के 100 छात्र/छात्राओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसमें मेरे द्वारा जांच की गयी है, उक्त संस्था पूर्णरूप से प्रस्तावित है, जिसके समस्त अभिलेख इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त संस्था के लिए अनुदान किये जाने हेतु प्रबल सस्तुति की जाती है।

भवदीय

(पी०आर० सरोज)  
जिला प्रोबेशन अधिकारी  
बदायूँ।

पत्रांक ४७७- /उपरोक्त तददिनांक।

प्रतिलिपि:-

1-

✓ अध्यक्ष आर०बी० वर्मा, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति  
जयनरायन वर्मा, रोड फतेहगढ़, फर्स्खाबाद।

18/11  
जिला प्रोबेशन अधिकारी  
बदायूँ।



30/11/16

कंपनी ग्रामीण बैंक  
Canara Bank

DHANIPUR, DIST- ALIGARH

Pb No - 0571 - 2760181 (email: cb1321@canarabank.com)

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that a Current Account No. 1331201001027 in the name of Bhartiya Gramin Kshetra Gramodhyog Vikas Samiti has been opened in our bank on 19/09/2016. The balance in the same account as on date is Rs. 10000 (Rupees Ten Thousand only).

कंपनी  
कर्ता केनरा बैंक  
For Canara Bank  
Canara Bank  
Dhanipur, जिला अलीगढ़  
Dhanipur, Distt Aligarh

राज्य बैंक



प्र०

निदेशक,  
समाज कल्याण  
उत्तर प्रदेश।

द्वारा मैं

उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
समाज कल्याण विभाग ।

पत्रांक:- ४४ / स०क० / अनु० / स्वै०८० / २०१४-१५,

मार्खनांक: दिनांक ३० जनवरी, 2015

विषय:- स्वैच्छिक संस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, लोयादाद्दा हुरूर, पोस्ट-खास, जनपद-एटा द्वारा प्रधान कार्यालय, स०प्र० अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़ फर्लखाबाद के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपसेक्ट विषयक शासन के पत्र संख्या-३१९२/२६-२-२०१४, दिनांक २४.१२.२०१३ का सन्दर्भ प्रहण करन का कर्त्ता करें जो उत्तर स्वैच्छिक संस्कृति के सम्बन्ध में आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत करना है कि शासन द्वारा भारत सरकार की स्क्रीनिंग कमटी द्वारा दिनांक २६/२७-९-२०१३ को दी गई संस्कृति एवं पत्र दिनांक ०८.०८.२०१३ जो सीधे संस्था प्रबन्धक को सम्बोधित है की पृच्छा के परिपेक्ष्य में आख्या एवं प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जहाँ तक संस्था डे स्पिच्यूशन की वैधता समृद्ध होने का उल्लेख है इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करकर उसकी छायाप्रति उपलब्ध करायी गई है जिसकी प्रति संलग्न है। इसी क्रम में अध्यक्ष सारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नारायण वर्मा रोड फतेहगढ़ फर्लखाबाद ने अपने पत्र दिनांक २७.१२.२०१४ द्वारा संस्था की रियड़िंग को सहृदय करते हुए वर्ष २००४-०५ की निरीक्षण अट्टड़ को दर्शवत् मानने का अनुरोध किया जाता है। अतः संस्था द्वारा प्रकृत अभियोग एवं संस्था की रजिस्ट्रेशन की नवीनीकरण की वैधता कर शासन की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्रेजित की जा रही है।

महोदय,

(प०सी०उपमाध्याय)

उप निदेशक,  
कृते निदेशक।

३०.१.२५



गोपनीय लाला दुर्गा, राजा

रोड, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड



गोपनीय लाला दुर्गा, राजा

सम्मानित अधिकारी, विधायक, विधायक

विधायक, विधायक

Add PRIVATE SECRETARY, H.E.

MINISTER, H.E.

H.E. (A) JUSTICE & LAW, GOVERNMENT

GOVERNMENT OF U.T. U.P.

आदरणीय आर० बी० वर्मा जी,

Dy.No. ५५० १०३८८(३४६)

Dated. १५/११/८८

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी को सम्बोधित अपने पत्र का संदर्भ यहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपने अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत है, संलग्न कर रहा हूँ। संलग्न प्रस्ताव में इन्होंने अनुदान स्वीकृत कराए जाने का अनुरोध किया है।

माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार आपका पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास) भारत सरकार को भेज दिया गया है।

सादर,

आपका,

(शोगेर कुमार उपाध्याय )

श्री आर० बी० वर्मा,

अध्यक्ष,

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र यामोद्धोग विकास समिति,

लोयाबादशाहपुर, पो० खास, जनपद एटा,

वैष्णवधाम के सामने, एटा चुंगी, जी०टी० रोड, अलीगढ़ (३०२०)



प्रेषक,

अनीता घटजी,  
विशेष सचिव;  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

संयुक्त सचिव,  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,  
भारत सरकार, शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली।

समाज कल्याण अनुभाग-२

लखनऊः दिनांक २६ दिसम्बर, २००८

विषय:-प्रदेश में संचालित/प्रस्तावित स्वैच्छक संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्तावों को भारत सरकार भेजे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-पी १३०११/०१/२००८-डीपी- दिनांक २८-०५-२००८ / पत्र संख्या-११०२०/४४४/२००८-एससीडी- ।।।, दिनांक १८-०७-२००८ के संदर्भ में एवं शासन के पत्र संख्या-२६४८/२६-२-२००८-१००(७३) / २०००टीसी-।, दिनांक १५-१०-२००८ तथा ३०३१/२६-२-०८-१००(७३) / २०००टीसी-।, दिनांक १९-११-२००८ द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के कभी मैं अवेगत कराना है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्रांक १-३१/२००७-सी.डी.एन., दिनांक २१-०३-२००७ में प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन मैं शासन के कार्यालय द्वारा प्रेषित दिनांक २५-०६-२००७ द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित ग्राट इन एड कमेटी की बैठक दिनांक १८-१२-२००८ को सम्पन्न हुई।

३- अतः ग्राट इन एड कमेटी की बैठक दिनांक १८-१२-२००८ में समिति की संस्तुति के आधार पर अनुदान हेतु उपयुक्त पायी गयी ५४ संचालित एवं १७ प्रस्तावित स्वैच्छक संस्थाओं की सूची एवं प्रस्तावों को संलग्न कर एतद्वारा भारत सरकार के विचारार्थ प्रेषित किये जाने का मुझे निर्देश हुआ है। निरीक्षण समिति तथा निरेशक, समाज कल्याण, ल०प्र०/राज्य मध्यनिषेध अधिकारी, उ०प्र० द्वारा यथासंस्तुत अनुदान की धनराशि संस्था के समुख उल्लिखित है।

संलग्नक-यथावत् ।

भवदीय,

२८  
(अनीता घटजी)  
विशेष सचिव



De-Addiction Centre

Detailed list 'B' New Cases

SL.NO	Name of the Organization	Amount recommended (In Rs.)
1	दासुदेव तिवारी सेवा संस्थान देवरख्या द्वारा कूशीनगर में प्रस्तावित	9,06,000/-
2	नवल शिक्षण एवं शोध संस्थान दालिया द्वारा प्रस्तावित	8,15,400/-
3	स्टॉ संस्था अनमोल ग्रामोद्योग सेवा समिति नुशदाबाद द्वारा प्रस्तावित	8,37,000/-

Craft Training Centre

Detailed list 'B' New Cascs

SL.NO	Name of the Organization	Amount recommended (In Rs.)
1	स्टॉ संस्था भारतीय ग्रामीण ग्रामोद्योग विकास समिति फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तावित सिलाई कढ़ाई बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र	शासन के पत्र सं०-५० अनु० १८-२-१९८१(३८)/९८ दिन २५-०३-१९९८ द्वारा भारत सरकार को अनुदान हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। सारांजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्र संख्या-११०२०/५५/०८-एससीडी- १११ दिन २३-०६-०८ के क्रम में शासन के पत्र संख्या-८० एन/ २६-२-०७ १(३८)/९८, दिनांक २६-०६-०७ द्वारा भारत सरकार को प्रेषित निरीक्षण आळ्या पर ग्रांट इन एड कमेटी द्वारा संस्तुति की गयी है।

Seminar For SC/ST Persons

Detaield list 'B' New Cascs


SL.NO	Name of the Organization	Amount recommended (In Rs.)
1-क	स्टॉ संस्था माता श्री राजाई अम्बेडकर सारक परिषद् राजाईपुरम लखनऊ द्वारा प्रस्तावित	1,11,000/-
ख-	अधिता भास्त दौलत विकास परिषद् यो-३६, राजाईपुरम लखनऊ द्वारा लखनऊ	1,11,000/-

Total	"A"	+	"B"	Rs.
	4,89,39,167	+	1,51,81,011	= 6,41,20,178/-



प्रेषण,

आवार्य सुरेश शाह,  
अन सरिवै  
उत्तर प्रदेश भारत।



लेखा मे.

संस्था,  
भारत राजकारण, कल्पाग मंडलम्,  
गांधी अवन, नई दिल्ली।

समाचार अस्थान इन्डिया-2

तिथि : दिनांक 25 मार्च, 1998

विषय:- को 1997-98 में संचित तैयार भारतीय आमीन ऐव ब्रामोहोम  
कमिटी= विकास समिति, कल्पाग मंडलम्, कल्पाग मंडलम् के बद्वा  
देश राजकारण प्रशिक्षण देश की स्थानान्वयन के बाब्ता।

कठोरत्यः

उपर्युक्त विषयक योजना के उन्नतीत तैयार का प्रसारित राज्य  
राजकारण की संस्थानी सहित नियमानुसार अनुदान स्थीकृत किये जाने देश  
विधाराय उप्रापारित करने का युक्ति निर्देश द्वारा है।

संकायः— प्रधानमंत्री।

मरणोदयः

1. आवार्य सुरेश शाह।  
अन सरिवै।

संख्या-50411330/28-2-98, तिथि ।

प्रति तिथि नियमिति को सुन्नाठ वर्ष आवार्य आवार्य का देश  
प्रेषण :-

1. निदेश, समाज कल्याण, 3090, लखनऊ को उनके पात्र संख्या-393-92/  
3090/330/97-98, दिनांक 9 फरवरी, 1998 के तैयार है।
2. आवार्य भारतीय आमीन ऐव ब्रामोहोम विकास समिति, जय नारायण  
पात्र दोष, कल्पाग मंडलम्, कल्पाग मंडलम्।
3. तैयारित स्वाक्षर/गाँड़ काहित।



Compared for original  
Abucole-Salya Panchayat.

Gandhi  
27/3/16



अन सरिवै।  
आवार्य सुरेश शाह।  
देश राजकारण।

प्रभा,

भारतीय भूमोरोग  
संस्था  
महाराष्ट्र विभाग  
मुंबई शहर ।

भूमा भै.

सचिव,  
भारतीय भूमोरोग विभाग,  
शास्त्रीय भूमोरोग विभाग ।

मानव संस्कार भूमाग-2

नंबर : दिनांक 28 पार्व. 1998

**विषय:-** की 1997-98 में स्थ० संस्था भारतीय भूमोरोग  
विभाग समिति, लालकरायण लाली रोड, फलेहगढ़, महाराष्ट्र ४००  
भूमोरोग विभाग के बारें भूमोरोग विभाग की स्थापना  
भूमोरोग विभाग ।

प्रबोधय.

ग्राम्यकाल विभाग घोषित के अन्तर्गत संस्था का उत्तराखण्ड राज्य  
प्रशासन की संस्थानी विभिन्न विभागों द्वारा कृतीकृत किए जाने वेतु  
विवारार्थ अग्रनारित बने का यह निर्णय हुआ है ।

**तारीख:-** यद्योदत् ।

अवटोग,

। भावार्थ भूमोरोग वाहू ।  
इन सचिव ।

संख्या-997/26-2-98, तदनिमि ।

**प्रतिलिपि** विभिन्न विभागों की सुविधार्थ एवं सम्बन्धित वार्यवाची वेतु  
प्रेषित :-

- 111- निदेशक, समाज संघ एवं ३०००, लाली ०० ऊने पा. संख्या-641/  
३०००/१९९०/१९९७-९८, दिनांक 26 पार्व. 1998 के तैदर्भ में ।
- 121- अध्यक्ष, भारतीय भूमोरोग विभाग समिति, फलेहगढ़,  
महाराष्ट्र ।
- 131- संरचित लक्षणक/गार्ड फार्मल ।

भूमा भै.

अधिकारी  
। भावार्थ भूमोरोग वाहू ।  
३००० रुपये ।

2



(5)

No. 17020/12/91-R.Cal1/SCD, U.P.  
Govt. of India  
Ministry of Welfare

New Delhi, the 1st May, 1991

To

The Secretary,  
Maijan and Social Welfare, Deptt.,  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Lucknow.

Su :- Proposal for grant-in-aid to undertake various activities like rural, housing, mini-dairy, tailoring trainings received from Bhartiya Gramin Kshetra Gramayojan, Vikas Samiti, Farukhabad, Uttar Pradesh.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 17020/12/91-R.Cal1/SCD, dated 6.5.91 on the above subject mentioned above. It is requested that the comments/recommendations on the proposed schemes with specific reference to existing governmental schedule caste welfare programme in these distts. in these spheres may please be sent to this Ministry as the same is still awaited.

Yours faithfully

Mr.

(R.R. Khurana)  
Under Secretary to the Govt.



प्रेषण,

दुर्गेश जोशी,  
पिंडिय ताविष,  
उत्तर प्रदेश शासन।

तेजा भै.

ताविष,  
भारत राजकार्य, कल्याण मंत्रालय,  
शास्त्रीय भवन, नई दिल्ली।

तमाज कल्याण अनुभाग-२

लेखनक्रम : दिनांक १९ नवम्बर, १९९७

प्रियजन : स्टैडिङ तेजा, भारतीय ग्रामीण केन्द्र ग्रामोदय विकास तात्परी,  
फ्लॉटग्रूप, पर्सनल एड द्वारा क्र. १८-१९ में अधिकारी के सह प्रस्तावित  
महिला लिमाई, कट्टाई प्रगतिशील को केन्द्रीय रक्षावकाश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बोधनाम के अन्तर्गत तंत्या का प्रस्ताव राज्य  
राजकार्य की तंत्यागति तात्पर नियमानुतार अनुदान संबंधित किये जाने के  
विवारायी उद्दातारित करने का मुख्य निषेद्ध हुआ है।

तेजनक्रम : बयोक्ता।

भवदीय,

। दुर्गेश जोशी ।  
पिंडिय ताविष ।

तेजा-४२०६ । । । /२६. २. ९७ तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि नियमनियम की तृतीयार्थ रूप ग्रामीण कार्यालय के  
प्रेरित :-

१. निषेद्ध, तमाज कल्याण, अनुभाग, लकड़ाऊ के यज तंत्र १६४-६७/सर/अनु०/९७-९८,  
दिनांक १०. ९. ९७ के तंत्रीय में।
- ✓ २. अप्रवृत्ति, भारतीय ग्रामीण केन्द्र ग्रामोदय विकास तात्परी, फ्लॉटग्रूप, पर्सनल एड
३. तंत्रीयता रक्षावकाश/माझी प्राप्ति।

आडा ते.

। दुर्गेश जोशी ।  
पिंडिय ताविष ।



प्रेस,

आवार्य तुरेज बाबू,  
अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश सरकार ।

भेजा गया

सचिव,  
भारत सरकार, कल्याण समाज,  
गाँधी भवन, नई दिल्ली ।

समाज कल्याण अनुभाग-२

लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 1998

किया:- वर्ष 1997-98 में स्टेटिउ तंस्था भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोदय विकास तमिति, फ्रेहमट, फर्डुडाबाद को अनुशूलित जाति की शहिलाई के लिए फर्डुडाबाद जनपट में संस्था हारा निजी स्रोतों से संचालित वार प्रदिला लिलाई, कदाई एवं छुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए वैद्यीय सहायता ।

महोदय,

उपर्युक्त किया योजना के अन्तर्गत संस्था का प्रस्ताव राज्य सरकार की तंत्रित तहित नियमानुसार अनुदान खींचे जाने हेतु विद्यारार्थ अग्रसारित करने का मुख निक्षा हुआ है ।

संलग्न:- यथोक्त ।

भवदीय,

। आवार्य तुरेज बाबू ।  
अनु सचिव ।

संख्या-996।।।/26-2-98, तददिनांक ।

प्रतिलिपि नियमिति को सुविनार्थ एवं प्राक्काशक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


- 121- निटेक, समाज कल्याण, उ०४०, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-640/स०क०/अनु०/ट००४०/९७-९८, दिनांक 26 मार्च, 1998 के संदर्भमें ।
- 121- इष्यद, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोदय विकास तमिति, फ्रेहमट, फर्डुडाबाद ।
- 131- संबंधित सहायक/गाँई काईल ।



संदर्भ

26-3-98  
आवार्य तुरेज बाबू  
उत्तर प्रदेश सरकार

No. 11-3/98-SD  
Government of India  
Ministry of Social Justice and Empowerment



To  
The Pay and Accounts Officer,  
Ministry of Social Justice & Empowerment,  
Shastri Bhavan,  
New Delhi-110001.

Room no. 253 'A', 2<sup>nd</sup> floor, 'A' Wing  
Shastri Bhavan, New Delhi-110 001  
Dated the 23<sup>rd</sup> October, 1998.

Subject: Grant-in-aid for set up of a project to Bharatiya Gramin Chhetana Gramodyog Vikash Samithi, Farukkabad, Uttar Pradesh under the General grant-in-aid scheme for assistance to the Voluntary Organisations in the field of Social Defence.

-- 0 --

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President to the payment of Recurring/Non-Recurring grant-in-aid of Rs. 1,02,263/- (Rupees One lakhs two thousand two hundred and sixty three only) to Bharatiya Gramin Chhetana Gramodyog Vikash Samithi, Farukkabad, Uttar Pradesh for Rehabilitation of 25 Children of Prostitute at Farukkabad against an approved expenditure of Rs. 1,13,625/- (Rupees One lakh eighty thirteen thousand six hundred and twenty five only) during the period November, 98 to March, 99 as per the conditions contained with this sanction letter. This is 90% of the total expenditure to be incurred by the organisation. Remaining 10% will be borne by the organisation from its own resources.

2. The break-up of the recurring/non-recurring expenditure of Rs. 1,13,625/- for current financial year given in the Annexure.
3. Sanction of the President is hereby accorded for the release of grant-in-aid of Rs. 87,300/- (Rupees Eighty seven thousand and three hundred only) as first instalment of the period November, 98 to January, 99.
4. Time Limit: The non-recurring grant is to be spent within 12 months from the date of sanction of this grant. The utilization certificate for non-recurring and recurring grant along with the Audited Statement will be submitted by the grantees to the Ministry within 15 months from the date of sanction of this grant.
5. Refund of UNSPENT BALANCE: Unspent balance if any will be surrendered to the Ministry of Social Justice & Empowerment/adjusted in the subsequent grant.
6. Certified that this sanction has been noted at Sl. No. 17 in the Register of Grants.

**ATTESTED**  
The purchase of non-recurring items i.e. machinery/equipments & furniture & fixture, should be made only from authorised dealers at competitive prices and subject to vouchers being produced for inspection.

Compared to original  
Ahu. Satya Prakash  
Gali




8. The Drawing and Disbursing Officer of this Ministry is authorized to draw an amount of Rs. 87,300/- (Rupees Eighty seven thousand and three hundred only) for disbursement to the grantee institution through a demand draft/non-negotiable cheque.

9. The expenditure is debitible to the Major Head 2235. Social Security & Welfare; 02. Social Welfare; 102. Child Welfare; 28-Scheme for Welfare of Street Children; 28.00.31 Grant-in-aid under Demand No.88 of this Ministry for the Year 1998-99 (Plan).

10. This issues under the powers vested in the Ministry and with the concurrence of Finance Wing vide their Dairy No. 3438/Dir(F) dated 9.10.98. The pattern of assistance of rule governing grant-in-aid have received the approval of the Ministry of Finance.

Yours faithfully,

  
(B.C. Das)

Under Secretary to the Government of India.

Copy for information and necessary action to:-


1. Secretary/President, Bharatiya Gramin Kshetra Gramodyog Vikas Samithi, Jay Narayan Varma Road, Fatehgarh, Farukhabad, Uttar Pradesh with the request to supply the under mentioned documents before the amount of grant-in-aid is remitted:-


- a. Bond for Rs. 1,02,263/- in the enclosed prescribed proforma on non-judicial stamp paper
- b. Advance Stamped Receipt for Rs. 80,300/- in prescribed proforma.
- c. A letter confirming that the terms and conditions contained in this sanction letter are acceptable to the organisation.

2. The Secretary/Director Social Welfare Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow with reference to his letter No. 50 Anu/26-2-98-11381/98 dated 25.3.98. It is requested that performance of this organisation may kindly be monitored through period reviews at the Secretariat level and inspections carried out by District Magistrate and report relating thereto sent to this Ministry. The points to be covered during review for inspection (indicative not exhaustive) are contained in the enclosed annexure.

3. Copy forwarded to the Collector of Farukhabad, Uttar Pradesh for information and necessary action, with reference to the endorsement in para 2 above.

4. Copy to District Social Welfare Officer, Farukhabad, Uttar Pradesh.  
5. The Director of Audit, Central Revenues, I.P. Estate, New Delhi.  
6. US(F)/US(SD)/SO(B&C)/Sanction



  
(B.C. Das)  
Under Secretary to the Government of India

ANNEXURE

File No: 11-3/98-SD  
 Name of the Organisation : Bharatiya Gramin Chhetana Gramodyog Vikash Samithi, Farukhabad,  
 Uttar Pradesh  
 Name of the Scheme: General grant-in-aid scheme for assistance to the Voluntary Organisations in  
 the field of Social Defence  
 Number of Children : 25

<u>Sl.No.</u>	<u>Items</u>	<u>Amount in Rupees</u> ( November, 98 to March, 99 )
1. Staff:		
(a) Programme Coordinator (1)-cum-Counsellor @ Rs.2500/- p.m.		12,500
(b) Non -Formal Educator(1) @ Rs.1500/- p.m.		7,500
(c) Vocational Trainer (1) @ Rs.1,500/- p.m.		7,500
(d) Aya @ Rs.900/- p.m.		4,500
(e) Part time Doctor (1) @ Rs.600/-p.m.		3,000
(f) Rent for accommodation @ Rs. 3,000/-p.m.		15,000
(g) Contingency @ Rs.2,000/-p.m.		10,000
(h) Nutritions @ Rs.5/- per day per child for 25 days in a month		15,625
(i) Recretation (One excursion)		3,000

NON-RECURRING GRANT

I. Vocational Training equipment, Dari, Furniture etc., @ Rs.35,000/-

35,000

ATTESTED



1st instalment 1998-99 Rs.87,300/- released

Total : 1,13,625  
 Less 10% Orgn. Share : 11,362  
 Less Unspent Balance, for the period : .....

90% grant from Govt. of India : 1,02,263

( B. C. Das )

Under Secretary to the Government of India



7

निरीक्षण अधिकारी का नाम व  
पद

मूल संह सौर्य  
जिला विकास अधिकारी,  
सरसाबाद।

निरीक्षण अधिकारी का नाम व  
पद

निरीक्षण स्थान

भारतीय ग्रामीण शेष ग्रामोदयोग  
वैकास तंत्रिति, फर्सताबाद राजा  
नवालत जनता तुथार व्यवसायिक/  
शिक्षा पुस्तक केन्द्र जिला विधायिका के  
25 छायाँ हेतु मौजूद जट्टुरा, बोह  
समसाबाद, जिला फर्सताबाद।

निरीक्षण तिथि

30-03-1999

मुख्य विवास अधिकारी, फर्सताबाद के पत्रांक 2203/अते-  
मुविड/99 दिनांक 16-3-99 के दस में दिनांक 30-3-99 दो उपरान्त  
12-30 बजे भारतीय ग्रामीण शेष ग्रामोदयोग विकास तंत्रिति, फर्सताबाद  
के द्वारा विकास छाय इमताबाद के अन्तर्गत मौजूद जट्टुरा बोह समसाबाद  
में तंत्रालील जनता तुथार व्यवसायिक/शिक्षा पुस्तक केन्द्र जिला विधायिका के  
25 छायाँ हेतु। ला निरीक्षण की गयी। निरीक्षण के समय तंत्रालील  
महापुष्पन्धक श्री तुनोलदत्ता, कार्यालय सचिव श्री रनबीर सिंह शाक्त, बारिधोला  
जिला पुष्पन्धक श्री अशोक कुपार शाक्त केन्द्र के स्टाफ लीडर भौमि वर  
तंत्रालील मिले।

इस केन्द्र पर निम्नांकित 25 छायाँ का विवरण माल  
2 नवम्हर, 1998 में वर के कक्षा-। की विद्या होते पाई :-

क्रमांक	आक्रमण का नाम	सिता का नाम	जन्मतिथि	पता
1-	कुमारी मन्जु	श्री तुरेश बन्दु	3-1-89	सिंहदरपुर, गांधीनगर, समसाबाद।
2-	मिस्थ	सुरेश बन्दु	4-2-91	
3-	कुमुद तुमोता	टल्लन	15-10-89	
4-	राजेश्वार	टल्लन	3-2-91	
5-	प्रियंका	सुरेश बन्दु	10-11-92	
6-	कुमुदी तुमोता	व्याज	1-5-92	
7-	उमाद तुमार	टल्लने	1-1-91	
8-	प्रियंका	तुरेश	5-5-88	
9-	कुमुदी तुमोता	सुरेश लाल	6-3-89	
10-	कुमुदी तुमोता	रुक्मि	2-7-93	
11-	उमाद बन्दु	ताने लाल	3-8-91	
12-	वन्दु	मन्ना	7-3-89	
13-	उमाद तुमार	टल्लन	3-3-89	
14-	हृष्ण	मन्जु	4-6-91	
15-	तन्तोला	ताने लाल	4-5-86	
16-	राजा	मन्ना	4-5-92	
17-	राजेश	ईयामहादू	2-4-92	
18-	तनोल	राज	3-8-93	
19-	कुमुदा	मनस्थर	4-3-93	
20-	कुमुदा	भनस्थर	5-3-92	
21-	बुक्को तुमार	अमैर तिल	11-7-90	
22-	बुक्को तुमार	भानपाल	2-3-89	
23-	रामपाल	बाहुराम	10-6-93	
24-	कुमुदी तुमोता	दगरीम	28-7-90	
25-	पितृनाथ	सामाल	3-2-92	



कृपया देखें

Concorded to original  
Mr. Satya Prakash

१२४

अपोहस्ताधरो द्वारा उपर्युक्त पंजीकृत 25 बच्चों की उपर्युक्ति  
लेने पर मौके पर 2। लघ्ये उपर्युक्त मिले जबैक लगभग 18-20 बच्चे हिना  
पंजीकरण के विधातय में शिक्षा ग्रहण करने हेतु आये हुये मिले। अपोहस्ताधरी  
द्वारा पंजीकृत छात्र/छात्राओं से उनके परिवार में उनके माता/पिता के  
सम्बन्ध में जानकारों को गई तो यह ज्ञात हुआ कि सभी छात्र/छात्राएँ  
नट जाति के हैं तथा उनके माता-पिता के द्वारा समय-समय पर नाय,  
गाना छाना इवं समय-समय पर मजदूरी इवं भीख मांग कर भी अपने  
परिवार का भरण पोषण किया जाता है उद्ये होग लाभार्थी का आर्य  
करके भी अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी मातारं घरेलू  
महिला के सम में रह रही हैं, लेकिन शैक्षिक और नाय गाने का आर्य  
करने पर महिलाओं को जराहम पेशा करने पर भी मजबूर किया जाता  
है। परन्तु निरोक्षण के समय ऐसा जोर्ह प्राप्ति प्रुक्षाश में नहीं आया।  
जानकारों करने पर बच्चों ने हताया कि इस केन्द्र पर उन्हे प्रौढ़तीदन  
लन्ध के सम में पल/मिठाई भी दी जाती है तथा मनोरंजन के लिए टी००वी०  
भी दिखाया जाता है। मौके पर केन्द्र के एक क्षमरे में द्वेष इच्छाकृ  
पोर्टफ्लू औरिनिटा टी००वी० भी पाया गया तथा ५/- प्रीत छात्र की दर  
से हस्तांत्रों को जलपान कराये जाने को प्रुष्टि उपर्युक्त छात्र/छात्राओं ने  
की, जिसका विवरण रीजिस्टर/पत्रालयी का अकलोक्त करने पर भी पाया  
गया।

इस केन्द्र पर निम्नाँका राटाफ मौके पर उपर्युक्त मिला,  
तथा उनसे उन्हे प्रौढ़ताह मिलने वाले देतन की जानकारी करने पर निम्न  
स्थिति हताई गई :-

नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	देय देतन
श्री अमर सिंह	संयालक अधिकारी	₹० 2500/-
उस्ला रमार	प्र्याप्तार्थीक अनुदेशक	₹० 1500/-
प्रमोति तिह	अनदेशक	₹० 1500/-
श्रीमती तनोता कुमारी	आया	₹० 900/-
श्री हेमचन्द्र	पाट धन डाक्टर	₹० 600/-

इस केन्द्र पर बच्चों के हैठने के लिए दरी, बच्चों के पद्धने-लिखने  
की तीक्ष्णां-पुरी साकारे उपलब्ध पाइ गई, जिन्हे केन्द्र द्वारा निःशुल्क  
बच्चों को उपलब्ध कराया गया है। राटाफ हेतु ७ दुर्लिंगां, ९ मेवे,  
९ ट्यूल, एक हेठ पेयर तथा एक जलमारी इवं अन्य आपश्यक सामग्रों परीक्षा  
पर उपलब्ध पाई गई तथा बच्चों को उपलब्ध कराई जारही पुरी साकारों  
से सभी हस्ते तंतुष्टि दिले।

३००४०३०—३



विवर:

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोदयोग विकास तंत्रिका, फसल्लाबाद छारा तंत्रालित 25 बच्चों हेतु जनता सुधार व्यवसायिक/शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जटवुरा, इमताबाद में तंत्र्या कार्य सुल्खर्वीस्थल ढांग से तंतोष्णनक पाया गया। धौक इस केन्द्र में बंजीकूत सभी 25 बच्चों ने जाति के नाम, माना बाजाना कर भरण-पोषण करने वाले परिवार के हैं तथा व्रेईयावृत्ति तम्बन्थी दुर्लभ संडान में नहीं आते हैं, जलस्वर एवं उचित डोगा एक तंद्रा छारा अपने उपकरण केन्द्र पर तपाज के अस्त्राय, कल्पीर एवं निम्नलक्ष्म पिछड़ों/अक्षमों के परिवार के बच्चों को भी व्यवसायिक शिक्षा दिलाये जाने हेतु कार्य किया जाए ताकि उनके रहन-तहन एवं खान-पान में परिवर्तन आते हों और सीदियों से उत्पीड़ित एवं शोषण के प्रियार हो लोग राष्ट्र एवं विकास की पारा से पुहकर अपना तथा अपनी तपाज का तर्पणीय विकास करने में सहयोगी तिहां होते हैं।

तंत्र्या की प्रगति एवं उन्नति हेतु शुभकामनासं प्रेषित जरते हुये शासकीय अनुदान घराना अवमुक्त जरने की संस्थापित करता है।

१५.५.१९८९  
जिला विकास अधिकारी  
फसल्लाबाद।



१/६



श्री इमाम खान,  
फिरोज अधिकारी,  
ग्राम पुरेश गांव।

लेखक

नामः  
भारत सरकार विधायक स्थान के उपचालिक  
फौजदार, राजस्तान राज्य, अमृतसरी।

संस्कृत संस्कार अनुसार

तिथि: दिनांक 25 मई, 1999

विषय: की 1998-99 में भारतीय ग्रामीण हेल ग्रामोपोद्योगिक विकास नियमित बंदोबाट  
द्वारा दीर्घ समय बहार विधायक विधायक पुरिया नं. 125 के पांच  
ले बचों के द्वारा ग्रामीण राज्य सरकार द्वारा विधायक विधायक बंदोबाट में  
विधि अनुसार के दृष्टि के संकेत में।

नोटः

अद्युक्त विधायक श्री इमाम खान की उल्लंघन की दृष्टि विधायक अधिकारी  
के बंदोबाट के बाटपार के द्वारा जीव ग्रामीण ग्राम में बैठकों विधायक द्वारा के  
कोर्ट एवं उपरिके करने का दृष्टि निर्दिष्ट दृष्टि है।

क्रान्तिकारी व्यवस्था।

नामः

श्री इमाम खान,  
फिरोज अधिकारी

संख्या: 1015/11/26-2-99 दिनांक ।

- 1- उपरिलिख विधायिका को दृष्टिकोण से उपरिके अधिकारी द्वारा दृष्टि-  
दृष्टि विधायक अधिकारी, बंदोबाट के उनके कार्ड नं. 2970/305-उपरिके 75-  
99 दिनांक 16. 4. 99 के ग्रहण में।
- 2- ✓ अद्युक्त भारतीय ग्रामीण हेल ग्रामोपोद्योगिक विकास अधिकारी, बंदोबाट।
- 3- नामित सदाचार/ नाई जाग्रत।

ATTESTED



श्री इमाम खान  
बंदोबाट दीर्घ समय  
दृष्टि निर्दिष्ट।

Compared to original  
Signature: Saligal Seebak.

ANNEXURE

File No.11-3/98-AG


Name of the Scheme : Assistance to Voluntary Organisation in the Field of Social Defence.

<u>S.No.</u>	<u>Items</u>	<u>(Amount in Rs.)</u>
A.	<u>RECURRING GRANT</u>	(October,99 to March,2000)
1.	Programme Coordinator (1)-Cum-counsellor @ Rs.2500/- p.m.	30000
2.	Non-formal Educator (1) @ Rs.1500/- p.m.	18000
3.	Vocational Trainer (1) @ Rs.1500/-p.m.	18000
4.	Aya @ Rs.900/- p.m.	10800
5.	Part time Doctor (1)@ Rs.600/-p.m.	7200
6.	Rent for accommodation @ Rs.3000/- p.m.	36000
7.	Contingency @ Rs.2000/-p.m.	24000
8.	Nutritions @ Rs.5/- per day per child for 25 days in a month	37500
9.	Recreation (One exurcion)	3000
	Total	184500
	Less Organisation's Share 10% :	18450
	Less Unspent Balance :	Nil
	Net Grant :	166050

First instalment release for the year 1999-2000 Rs. 83025/-

(Virendra Singh)

Under Secretary to the Govt of India



Compared to original.  
Advocate Satya Prakash.

29/03/2016

# फोलियो

४८५८  
५ लिए)  
१०२

## केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिए जाने की तारीख Date of delivery of copy.	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy.
06/11/02	11/02/2002	11/02/2002	Mase



W/A  
3/100



स्ट्रीकिंडर के 32 वर्षों का सूचना देने वाले का नाम  
लाइन रिपोर्ट द्वारा दिया गया है।

पुलिस सूचना संख्या 279/2000 मार्ग 4209PC फिल्स प्रधान से जूलिस प्रधान से

अन्तिम रिपोर्ट संख्या— 6/2002

दिनांक 18-7-2002 = 2 अगस्त को सूचना के लिए

दिनांक 15-1-2002

वारों वा सूचना देने वाले का नाम  
पता—

नियोग का स्वरूप

तुराई गई सम्भाति का विवरण—  
(यदि कोई हो)

अभियुक्त व्यक्तियों के नाम व पते—  
(यदि कोई हों)

दिनांकारी यदि को यदी हो तो  
सिनातारी का दिनांक—

मुक्त किए जाने का दिनांक—

सबय का जमानत पर या  
नुचलके पर होड़ा गया?

(हथियारों सहित)  
यदी हो। कितने कहाँ तथा  
म जस्ट्रेट के पास भेजी गयी या  
नहीं? विवरण—

प्रथम सूचना वा पुलिस कार्यवाही  
का सहित विवरण जांच भरने  
का कारण—

दिन-दिनांक  
रात

न्यायालय की आज्ञा—

प्रस्तावित प्रतिलिपि

श्रीमान प्रतिलिपिक  
जनरल न्यायालय

पुलिस लाइन

11 MAR 2002

सीपी-सीत कुमार शर्मा  
समाज कल्याण और विकास  
प्रतिवाद — प्रभुत्वा वाला  
मार्ग 4209PC 3A

दिनांक 32/11/02  
मार्ग 25-02-02

राम वाला नं. 5/10 चिरंजीलाल  
प्र० १० लोमा वादशाह पुरा PS -  
बोतेंद्र रुटा जनपद उटा  
अधिकारी भारतीय ग्रामीण को-ना  
गामोंगा विकास समिति और सम्बन्ध  
कामोड़ प्रतिवाद के लिए लाला  
हीमानी

निवेदन दोषियों गुरुकुमार  
उमरीर वी निवेदन के द्वारा न  
प्राप्त साक्षण से सातिर दोषों  
कि भारतीय ग्रामीण को-ना गामोंगा  
विकास समिति और सम्बन्ध  
कामोड़ हारा संचालित जनता  
कुपार घर सागिन्द्र भविंश्वास  
के ३ अटकुरा शमस्ता नगर  
प्रियंका का जावा ८०१-५-२०००  
को निरी क्षण के दौरान भी  
संचालित था और उनकी  
संचालित है जिसके निरी क्षण  
वहाँ दूर नहीं पहुंच सके।  
समिति का J.N. कमी सोड पा  
रिअतिकारिया ३५ दिन बढ़े  
था। समिति के लापी जांच को लाने  
देखकर निरी क्षण वापस लौट  
गए। उन्होंने कोलीकु ओह  
जुओ लाविस नदी कुआँ आर;  
F.R. उपरितको तह पुराविवाह  
सम्बन्धी जागी है। A3-31

15/11/2002




प्रस्तावित प्रतिलिपि

अध्यक्ष

13

(3) प्र०  
कानूनी नकल  
के लिए

## फोलियो



केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिए जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
Serial No. 5 द्वारा 16/6/2002 Head Copyist Judge Fbd.	12 JUN 2002	12 JUN 2002 10/6/2002	Rasheed

मा. 37100



Compared to original  
Adarsh, Saty & Prakash.

Saeed  
20/7/02

प्रार्थना का नकल करने का अधिकारी

28/5/02 आज F R बनकुम्ही  
 31/5/02 नारी एवं विवाह  
 वादी त्रिमूर्ति  
 अन्तिम विवाह 28/5/02  
 का प्रयोग हो।

31-5-2002 आज प्रावली बनकुम्ही  
 वादी अनुपरिषद  
 नारी वादी तामिल  
 वापस नहीं रखा।  
 अन्तिम विवाह 28/5/02  
 वादी वादी बनकुम्ही  
 2/6/02 का जारी।

ATTESTED



02-6-2002 बकाश रविवार।  
 आज प्रावली पेश हुयी। इस प्रकरण में निवेदक द्वारा  
 03-06-02 अन्तिम आख्या प्रसूत की गयी जिस पर वादी को नोटिस  
 दिया गया। वादी पर नोटिस की तामील भेजी गयी तूकि आकारी  
 वादी एवं तामील हाल स्नाताता पर नोटिस निर्धारित किया जाता क्या  
 के लिए तामील प्राप्ति गानी जा चुकी है। लेकिन उसे वाकूद भी  
 को नहीं समिक्षा है। अतः अन्तिम आख्या को और समय तक तर्मित  
 स्नाताता उचित नहीं है। अतः अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है।  
 प्रावली द्वारा दधकार हो।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रावली बनकुम्ही  
 वादी एवं विवाह  
 अन्तिम  
 12 JUN 2002

2/6/02  
 सी. 06/02



प्रैषाक,

मध्य विकास अधिकारी,  
कर्जाबाद।



तें, मे,

विशेष संघर्ष  
शासन कल्पणा  
अन्तर्भुग-२१ उ०४०, शासन,  
लहौरजा।

पत्रांक ८३६६/२००२/०२ दिनांक २-८-२००२

महोदय,

मैंना अने पत्रांक ०१ भा०८०/२६-२-२००२ - १०३०४/१४ दिनांक  
३०-१-२००२ का अपलोकन करने का कट करें, जिसके द्वारा स्वीच्छक संस्था  
भारतीय ग्रामीण एवं ग्रामोपोग विकास समिति, कर्जाबाद द्वारा रांगालित  
२५ वैश्याओं के बधाओं के पुर्णपास के सम्बन्ध में जांच आख्या ढाहो गई है।

उक्त परिषेदा में अवगत जाना है कि उक्त स्वीच्छक संस्था की  
जांच दिनांक २-८-२००२ को को गई, जो निम्न पुकार है:-

भा०ग्रा०६६६ ग्रामोपोग विकास समिति के द्वारा विकास छण्ड  
शामशाबाद के अन्तर्गत गो० जट्ठुरा गो० शामशाबाद में रांगालित जनता  
तुपार शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र {वैश्याओं} के २५ बधाओं  
का निरोक्षण किया। निरोक्षण के समय समिति के राजायक लेखाकार,  
श्री विमल कुमार गुप्ता, तीमीति के पदेन सदस्य श्रीमतो तालकातो निरोक्षण  
अधिकारी श्री संबोध कुमार जिला शाला के प्रो ओमान्द्र पोग्राम अधिकारी  
केन्द्र के समस्त स्टाफ सहित भाँके पर उपस्थित रिम्ले।

इस केन्द्र पर बृहा०-३ घ ४ में पंजोकृत छात्रों को सूचो रुलम्बन है।  
पंजोकृत २५ बधाओं को उपस्थिति लेने पर २५ बधाए उपस्थित रिम्ले, जारीक  
लगभग ५०-६० बधाए विना पंजोकरण के विधालय में शिक्षा गृहण करने  
आये हुए थे। पंजोकृत छात्र/छात्राओं से उनके परिवार में उनके माता-पिता  
के सम्बन्ध में जानकारी जो गई, तो यह ज्ञात हुआ कि सभी छात्र/छात्राओं  
जाति के हैं, उनके माता-पिता समय-राशि पर नाव गाना वजाना, मज़दूरी

संभालना आदि कर रहे हैं। बधाओं की जातायें दारेलू गाँड़िला के स्थ में रहती हैं, पूर्व कर्ना०-झार०

नाच जाने का कार्य करने पर पौर्णिलाओं को जरायग पेशा करने पर मज़बूर  
किया जाता है, परन्तु निरोक्षण के साथ ऐसा कोई मामता प्रकाश नहीं  
जहाँ आया। जानकारी करने पर बधाओं ने जाताया कि इसके इस केन्द्र पर

उनको प्रतीदिन नात्ते के स्थ में फ़ा गिलाई औ जानकारी तथा मानोरंग के  
लिये टोलपो० भाँ दिलाया जाता है।

ATTESTED



NOTARY  
R. No. 111  
Gove

Compounded to  
Copy original  
Adm. Copy attached  
G. L. 29/3/02

मौके पर केन्द्र में एक कमरे में छोड़ दीर्घ सप्त वाइट टी०पी० पाया गया। तथा ५ ल० प्रति छात्र को दर से बच्चों को जलपान कराये जाने की पुष्टि उपस्थित छात्र/छात्राओं ने को। ऐसजा विवरण रजिस्टर/पत्रावलो का अधिकार खरने पर भाषा भया।

इस केन्द्र पर निम्नसंक्षिप्त स्टाफ मौके पर उपस्थित मिला तथा उनसे उन्हें प्रतिमाह मिलने वाले वेतन को जानकारी करने पर निम्न स्थिति पता ही गई।

क्र०सं०	नाम अधिकारो/कर्मचारी	पद	देय वेतन
१-	श्री पूर्णकाल दिवाकर	सेवालक अधीका०	२५०० -००
२-	,, मतो आशा देवी	प्याय० अनु०	१५०० -००
३-	,, धर्मेन्द्र कुमार	अनु०	१५०० -००
४-	,, मतो रामकान्तो	आया	२०० -००
५-	,, जाहर सिंह घर्मा	पार्ट टाइम डाक्टर	६०० -००

इस केन्द्र पर बच्चों के हैंने के लिये दरों, लिखाने के तिक्कां पुस्तकालय में उपलब्ध पार्किंग गई, जिन्हें केन्द्र द्वारा नियुक्त बच्चों को उपलब्ध कराया भया है।

स्टाफ हेतु १० कुर्सियाँ, ५ गें, ६स्टूल, २ हैंडबेयर, ५ ट्रिलाई मशीन एक अवामारो स्वं अन्य आवश्यक सामग्री मौके पर उपलब्ध पाई गई। सभी बच्चों ने स्टाफ के प्रति उन्नुष्ट पाये गये।

ATTESTED

विवरण:-

यदि समीक्षा द्वारा अपने छात्र केन्द्र पर स्माज के अवामारो, अलोक स्वं निम्नलिखित प्रिष्ठों, अमरों ले परिवार के बच्चों को प्याय० शिक्षा दिलाये जाने हेतु कार्य किया जाये, ताकि उनके रहन-सहन स्वं छान-पान में परिवर्तन आ जावेगा, जिससे सीदियों से उत्पोषित स्वं शोषण के शिक्षा लोग राष्ट्र स्वं विकास को धारा से छुकर अपना तथा अपने स्माज का रांगोण विकास करने में सहयोगी रूप हो सके।


इस प्रधान केन्द्र को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पुशिक्षण हेतु स्वीकृत पत्रावली संख्या ११-३-७८ एस०ए० के अन्तर्गत १०-११ में स्वीकृत की गई थी। अध्यक्ष द्वारा कल्पना करने पर उनके द्वारा प्रेषित पत्रावली को धाराप्रतियाँ, उपभोग प्रमाण प्राप्ति द्वारा प्राप्त क्षेत्र तक प्राप्ति के प्रति गति स्वं उन्नीत हेतु शासकीय धनराशि द्वारा दिया गया।



४३४

अद्यावरा करने को संक्षिप्ति करता हूँ ताथ हो पुस्ति पर्याप्ति अंजीकृत वर्पणे को  
दूषो नो संलग्न को जा रही है।

मवदोरा,  
K.V.  
इरेश चन्द्र  
गुरु  
पिलास अधिकारी, ०२  
फ़र्जाबाद।



Annexure No. 15

प्रेषक,

जिला पंचायती  
फर्स्ताबाद

सेवा में,

अनुसंधिय  
समाज संस्थाण अनुभाग-2  
उत्तर प्रदेश शासन  
लखनऊ ।

संख्या ५२००/आप्रेपंजि०००-२००२

दिनांक 27-11-2002

प्रियज :- स्पेचियल संस्था भारतीय ग्रामीण धेत्र ग्रामीणपोर्ट निकाय  
द्वारा २५ संस्थागां के बच्चों के बुनियाद  
पर संस्थापित अधिकारी फर्स्ताबाद द्वारा प्रेषित आदेश।


महोदय,

उपरोक्त प्रियज पर गवाहा छराना है कि उक्त द्रुक्तरण का  
जांच प्रभारी गुड्य विकास अधिकारी फर्स्ताबाद द्वारा दि ०२-८-२००२  
को की गयी थी तथा उक्त दिनांक को ही गपनी आदेश आपको प्रेषित  
कर दी थी। उक्त आदेश पुनः मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित की जाती है  
गृष्मा इत सम्बंध में ग्रामीणक कार्यालयी करने का बढ़ाट करें। मैं उक्ता से  
सहमत हूँ।

तालिका उपरोक्तानुसार

गवादीय

संख्या०५०००८०८०  
जिला पंचायती  
फर्स्ताबाद



ATTESTED



Compared to original  
Adu. Salig a. *[Signature]*

*Gauri*  
29/03/16



प्रेषक,

स्वै०पी० सिंह,  
अनुसंधिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

लेखा में,

अनुसंधिव,  
भारत सरकार,  
सामाजिक न्याय संघ अधिकारिता मंडालम्,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

समाज क ल्पापि अनु भाग-2

लखनऊ: दिनांक 30 दिसम्बर, 2002

विषय:- स्वै० संस्था भारतीय ग्रामोद्योग विकास समिति, फर्रुखाबाद  
उ०प्र० को 25 वैष्याओं के बच्चों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप्के पत्रांक 11-3/98-एस डो०१०३००५८८८ है।  
दिनांक 27-12-2001 के तंदर्भ में मुझे आपसे यह बहने का निर्देश हुआ है कि  
उक्त संस्था के कार्य-कालाधिकारों को जाँच जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के माध्यम से  
करायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा संस्था के संचालित  
होने को पुष्टि को गयी तथा उन्दान अवमुक्त किये जाने को संतुष्टि भी गयी  
जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के पत्र दिनांक 27-11-2002 के साथ प्राप्त मुख्य विकास  
अधिकारी, फर्रुखाबाद को जाँच आव्याह दिनांक 02-08-2002 मूल रूप में संलग्न है।

संलग्न - यथातः

आशा से,

Ch.  
स्वै०पी० सिंह  
अनुसंधिव



Concurred to by me  
Advocate Sanjiv  
Gaurav  
29/3/02  
अध्यक्ष



प्रेषक,

रमा शंकर सिंह,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
फर्रुखाबाद।

सर्वोच्च प्राथमिकता / महत्वपूर्ण  
संख्या ७६३ अवधि/ 26-2-2004-1(38) / ९०

समाज कल्याण अनुभाग-2


विषय-स्थैर संस्था ग्रामीण क्षेत्र ग्रमोद्योग विकास समिति, फर्रुखाबाद द्वारा 25 देश्याओं  
के बच्चों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सहायता।

लिखनका दिनांक-३० सितम्बर, 2004

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के अशासकीय पत्र संख्या-2516 / 26-2-02-1(38) /  
९०, दिनांक-26-10-2002 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को उक्त संस्था की  
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जांच करके पूर्व में उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या  
दिनांक-27-11-2002 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भारत  
सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली को एक रिट के मामले में  
उक्त जांच की आवश्यकता है। अनुरोध है कि उक्त जांच आख्या एक सप्ताह के  
अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि समयान्तर्गत भारत सरकार को  
भेजी जा सके।



मध्यदीय,

(रमा शंकर सिंह)  
विशेष सचिव

Compared to original  
Admocali Saligâ Prakâr  
Ganhar  
29/3/16

रजिस्टर्ड

पुस्तक,

मुख्य विकास अधिकारी,  
फर्जियाबाद।

तैयारी में,

संघिव,

समाज कल्याण,

उत्तर प्रदेश शासन, बापू नगर

लडानऊ।

ए.टी.सी./205)

टिक्का-

/ स०३०/ स००० स०२००४-२००५ दिनांक 27/11/2004  
स्वीच्छा (स्थायी भारतीय ग्रामीण शोन्ह ग्रामीण) क्लास  
समिति फर्जियाबाद द्वारा 25 लोकाओं के बच्चों के पुनर्वसि  
देते मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रेसित आव्याप पर  
संस्थानित किया गया।

महोदय,

कृपया उपरोक्त प्राप्ति अमने ३५ शासकीय पत्र तंत्रा  
३०७-ए.टी.सी./26-२-२००४/समाज कल्याण अनुशासन-२ लडानऊ दिनांक ५  
नवम्बर २००४ का सन्दर्भ प्रहरा करने का छष्ट है। उक्त तंत्रा से सम्बन्धित  
जिला अधिकारी, फर्जियाबाद के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, फर्जियाबाद जी  
जैविक आव्याप की प्रमाणित प्रति आव्यापक संलग्नकों के साथ आपको तैयार  
आव्याप कार्यवाही देते प्रेसित की जा रही है।  
संलग्न- उक्तानुसार।

संघिव,

मुख्य विकास अधिकारी,  
फर्जियाबाद।



Linear

ATTESTED



Compared to original  
Advocate Salya Prabakar

Pauli  
29/10/2010

गुरुदारा,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
फस्तावाद ।

तेवा में,

जिला शासकीय अधिकारी बिल  
फस्तावाद ।

पत्र संख्या / १२४-७७ / स०५०/२००५-२००६ दिनांक १८/११/२००५

वि १४-

न्यायालय विभिन्न कानून प्र० कल्पाता वाद वाद स० १२४  
वर्ष २००५ रामवालू प्रति भारत सरकार ।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या  
११४ दिनांक ५-६-२००५ का सन्दर्भ में ग्रहण करने का कृष्ट छर्डे वाद संख्या  
१२४/२००५ को प्रत्यरदार लाल्हा झावड़ी नेवा में आवश्यक  
संलग्नकों सहित ऐलान की जा रही है ।

तंलग्न- प्रत्यरदार झावड़ी

तंलग्नकों सहित ।

श्री युपर्युक्त अधिकारी

भवदीय,

१८ नवंबर २००५  
जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
फस्तावाद ।

१८/११/०५ पढ़ाकिन संख्या/

/ स०५०/२००५-२००६ दिनांक ।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी ग्रहोदय का तेवा में आवश्यक  
कानूनी हेतु ऐलान ।



ATTESTED



Compared to original  
Adusali Saliga Prabha

Gandhi  
18/11/05

लघुवहार मूल वाद संख्या 124/2002, रामवाड़ वर्मा पुत्र श्री  
चिरंजीलाल निवासी लोयाबादशहपुर परगना/तहसील जिला  
एटा वर्तमान अध्यक्ष भारतीय ग्रामीण एवं ग्रामोपोग  
विकास समिति ज्य. नरायन वर्मा रोड फोहगढ़ कर्खाबाद  
~~बाटुकुम्ही~~ प्रति वाद। भारत सरकार व अन्य को प्रत्यरोदार आव्या

प्रस्तर-01

यह है कि कुछ नहीं कहना है।

प्रस्तर-02

स्थेचिह्न संस्था, भारतीय ग्रामीण एवं ग्रामोपोग विकास  
समिति कर्खाबाद छदारा संचालित 25 बैश्याओं के उच्चों के मुनवासि के  
सम्बन्ध में दिनांक 2-8-2002 को मुख्य विकास अधिकारी, कर्खाबाद  
छदारा निरीक्षण के दौरान संस्था के संचालन की पुष्टि की गई।  
मात्र हेतु मुख्य विकास अधिकारी, कर्खाबाद की जाँच रिपोर्ट पत्र संख्या  
7364/ आठली ०४ जून ०२/०२ दिनांक 2-8-2002 व व-०२ 2001-2002, 2000-  
2001, 1999-2000 एवं कद्दम ३ & ४ में पंजीकृत छात्र/ छात्राओं की सूची  
संलग्न है।  
तालिका संख्या ०१ से ०७ तक।

प्रस्तर-03

यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण कल्याण विभाग को  
तंस्तुति पत्र संख्या ५०/ जनु. २६-२-१९८१/१३५४/१४ दिनांक 25-३-१९९८ छदारा  
स्थेचिह्न संस्था भारतीय ग्रामीण एवं विकास समिति ज्य. नरायन वर्मा  
रोड फोहगढ़, कर्खाबाद को = ३०=३० रु 1, 85, 288=०० की ग्राहण  
स्वीकृत की गई। इसके हेतु, भारत सरकार, तामाजिक न्याय एवं  
अधिकारिता मंदालय शास्त्री भावन नई दिल्ली के पत्र संख्या १८३८०५१०  
दिनांक १०-८-२००० की छाता प्रति तंस्तुति है।  
तालिका संख्या -०८

प्रस्तर-04

यह है कि उक्त सन्दर्भ के संस्था छदारा स्वीकृत धनराशि  
भवति 1, 85, 288=०० के दृप्योग की विकायत पर सन्दर्भ-ति ०३ में  
भारत सरकार के पत्र संख्या ११-३ रस०३०१० किंवं १६-८-२००३ छदारा  
जारी निर्देश के अनुपालन में जिला समाज कल्याण अधिकारी, कर्खाबा-  
द के कार्यालय पत्र संख्या २४०४/१००५/संस्था/ एफ०आई आर०/२०००-२००१  
दिनांक ११-१०-२००० के छदारा धानी कोतवाली फोहगढ़ में रु 185288/-  
के दृप्योग के सम्बन्ध में धानी दृप्योर्ट दर्ज कराई गई। छाता प्रति  
तंस्तुति है।

तालिका संख्या ९ व १०

जाँच रिपोर्ट में धनराशि के दृप्योग न होने की काम में  
जाँच अधिकारी छदारा जाइनल रिपोर्ट लगाए गए अधिकारी रिपोर्ट की  
जाया प्रति तंस्तुति है।

ATTESTED



प्रस्तर 05

यह है कि कथान सत्य है। सन्दर्भित संस्था का निरीक्षण  
श्री मूल सिंह, जिला विकास अधिकारी, फर्झाबाद छदारा जनता तुधार  
व्यवसायिक शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र बैयाझों के 25 वर्षों हेतु  
मो० जटपुरा रामसाबाद जनपद फर्झाबाद का निरीक्षण दिनांक ३०-३  
१९९९ किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट को छाया प्रति आक्षय हेतु तलगत  
है। सलगनक संख्या १२

प्रस्तर ००

यह है कि कथान सत्य है। जौच अधिकारी की फाइनल रिपोर्ट  
तीतरन संख्या ॥ का अबलोकन करने का कठट करें।  
प्रस्तर संख्या ०८ त ०९

प्रस्तर संख्या १० यह है कि कुछ नहीं कहना है।

जौच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी, फर्झाबाद है पन्न  
संख्या ३६४/आ०लि०/जौच/०२ दिनांक २-८-२००२ के बदारा संस्था के  
नियमित संचालन एवं उन्नुदान दिये जाने की संस्तुति तथा जौच अधिकारी  
की फाइनल रिपोर्ट में अपराध संख्या ४२२/२००० धारा ४२० आई०पी०  
ती० दो० शिह न रोना पाया जाना के फलत्वरूप कार्यपादी  
कुकीं रिकवरी की स्थागत हो गई।

प्रस्तर ॥ व १२

यह है कि कुछ नहीं कहना है।

सलगनक यथापरि।

श्री राम गतुराम दमै॒

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
फर्झाबाद।

ATTESTED



(1)

(3)

प्रेषण

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,  
पर्यावरण बोर्ड

पत्रांक/

विषय-

निवास,  
समाज कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या ३०५०/अनु०/२००४-२००५ दिनांक ८ दिसंबर, २००५  
भारतीय ग्रामीण होने वाली ग्रामीण विकास समिति जय  
नरायन वर्मा रोड फैजाबाद छोटी जाँच बाहरा  
उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

गहराय,

मैं प्रधा उपरोक्त विषयक निवास कल्याण कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पन्न संख्या ३३८/स०५०/अनु०/२००४-२०५/ लखनऊ दिनांक २९ अक्टूबर २००४ एवं भारत चरकार/राज्य संघ के पन्न संख्या १७०२०/१२-११-आर० सेक/स००५०१०१। दिनांक १-१०-१। झारा भारतीय १९९१-९२ से अक्षर्षीय कार्य क्षापों के विकास की फैजाबाद की वर्ष १९९१-९२ से अक्षर्षीय कार्य क्षापों के विकास की यहां आया था ही गई है। उन्नीस संस्थाएँ के कार्य क्षापों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आया एवं संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गयी अनिक्षिकों को स्वेच्छा आपकी सेवा में घोषित ज्ञाते हुए संस्थाएँ की वर्ष १९९१-९२ से वर्ष २००४-२००५ तक के सततीकरण/केन्द्रीय अनुदान की स्वीकृति हेतु संतुति की जाती है।

भवदीय,

रामनन्द पट्टा परिष

तांत्र सेट।

मुझे प्रदान किया जाए।  
झारा भारतीय

पट्टनन्द तांत्र/१५११७/स०५०/अनु०/२००४-२००५। दिनांक  
प्रतिलिपि अद्यतन भारतीय ग्रामीण होने वाली समिति  
जय नरायन वर्मा रोड फैजाबाद फैजाबाद की स्वीकृति।

मुहुर्मुहुरा जौहारी।

मुहुर्मुहुरा।



सं०-६०८८/२६-२-२००७-१४३८/९८

प्रेषक,

उमा श्वर मिहे,  
अनुभीविव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अवर नाथिव,  
मारत सरकार,  
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता प्रशालय,  
शास्त्री भसन, नई दिल्ली।

C.R. No.  
Received on 27  
Bldg. No. 15, Civil Justice  
& Empowerment  
Government of India  
New Delhi

लिखित: समाज कल्याण अनुभाग-२

लखनऊ: दिनांक: ३० जून, २००७

विषय: स्वैच्छिक संस्था मारतीय ग्रामीण ऐक्याविकास तमिति फर्खाबाद की  
निरीक्षण आड्या भेजने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत संस्था  
में सम्बन्धित पूर्व प्रेषित प्रमुख तथिव, समाज कल्याण के पत्र सं०-२९७३/२६-२-०५-।  
१३८/९८, दिनांक 28 नवम्बर, 2005 द्वारा उपनिदेशक, समाज कल्याण तथा मुख्य  
विकास अधिकारी, फर्खाबाद/ जिलाधिकारी, फर्खाबाद की जाँच रिपोर्ट भेजी  
गई है।

२- तत्काल में तमिति प्रश्नगत संस्था के सम्बन्ध में तत्त्वमय निदेशक, समाज  
कल्याण के पत्र सं०-२०८/सक/अनुदान/२००४-०५, दिनांक 21 मार्च, 2005 के माध्यम  
में शासन को प्राप्त जाँच आड्या की एक प्रति पुनः संलग्न कर अतिर वार्षिकी  
द्वारा सत्रद्वारा प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्ता।

मध्यीय,

उमा श्वर मिहे।  
अनुभीविव।

पृष्ठ०-६०८८/१४/२६-२-०७ तद दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि अध्यक्ष, मारतीय ग्रामीण ऐक्याविकास तमिति,  
फर्खाबाद को उनके पत्र दिनांक 30 जून, 2007 के तार्दर्श में तुष्टार्य प्रेषित।

आज्ञा ने,

जारी दी जाना  
अध्यक्ष  
मारतीय ग्रामीण ऐक्याविकास तमिति  
जून २००७ द्वारा दिल्ली द्वारा दिल्ली  
प्रांतीय विभाग



प्रेषक,

आवार्य सुरेश बाड़ू,  
अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

लेखा में

सचिव,  
भारत सरकार कल्याण मंत्रालय,  
शासनी भवन, नई दिल्ली।

समाज कल्याण अनुभाग-2

तिथि : दिनांक 28 मार्च 1998

किया:- इव्वर्ष 1997-98 में स्थ० संस्था ग्रामीण द्वे ग्रामोंग्राम विकास समिति, जयनारायण वर्मा रोड, फलोहगढ़, जनपद-फलोहगढ़ को अनुशासित जांचि के आधिक स्थानान्वयन द्वे कम्प्यूटर प्रणिधि के न्दू की स्थापना द्वे केन्द्रीय भविता।

स्वोट्य,

उपर्युक्त विभाग द्वे जगा के उन्नतीक संस्था का प्रस्ताव राज्य सरकार को संस्तुति द्वित निधानानुसार अनुदान स्वीकृत किए जाने द्वे विवारार्थ भण्डारित करने का मुक्ति निक्षेप हुआ है।

संलग्न:- घोषणा।

भवदीय,

1. आवार्य सुरेश बाड़ू।

अनु सचिव।

लैटर-998/11/26-2-98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि विषयतिविवर को सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यालयों द्वे प्रेषित :-

- 111- विभाग, समाज कल्याण, 30प्र०, लखनऊ को उनके पाल लैटर-645/ 30प्र०/अनु०/97-98, दिनांक 27-3-98 के संर्वर्थ में।
- 121- अधिक, ग्रामीण द्वे ग्रामोंग्राम विकास समिति, जयनारायण वर्मा रोड, फलोहगढ़, जनपद-फलोहगढ़।
- 131- संबंधित सहायक/गाँड़ कार्हिल।

आज्ञा में

अनु सचिव  
1. आवार्य सुरेश बाड़ू।  
अनु सचिव।

2.



प्राप्ति

श्री. सी. शिंदे,  
महाप्रबन्धक मुख्यमंत्री।

ज०प्र० अनुसूचित प्राप्ति विषय एवं विकास निगम दि.  
बी०-७१२ संकार "पी" प्रान्तर, लखनऊ।

सेवा में

श्री. सी. शिंदे स्वामी,  
निदेशक,  
अनुसूचित प्राप्ति/निवारण  
भारत सरकार कल्याण संवादी,  
शास्त्री भूषण, नडी विद्यालय।

पत्रांक/

विषय:-

१५०३५०/ विविध दिनांक:  
भारतीय ग्रामीण बैत्र ग्रामीणोग विकास समिति इलाहाबाद  
को अंस्था वेबुरन्दी अस्तान कल्याण मंडलम् द्वारा  
किए गए श्रेष्ठ सम्बन्धों।

महोदय,

दृष्ट्या उपरोक्त विषयक अंस्था के इलाहाबाद बैत्र  
अस्तान करने की ज़रूरत की। यह अंस्था अस्तान में इसे प्राप्ति करने  
से महिता चिलाई/कटाई प्रोजेक्ट के दृष्टिकोण समझी है। बैत्र बैत्र  
में यह अंस्था इलाहाबाद प्रशासनात्मक कार्यालय से जोलाया जाएती  
वेबुरन्दी अंस्था अस्तान द्वारा इस विकास समिति अंस्था के दि.  
नियमानुसार ऐसे कि कम्प कम्पार्टमेंटों को विस्तृ प्राप्ति किया  
है, इसे भी अस्तित्व स्थापित। स्थिरता करने की ज़रूरत करे

हंसांक:- पर्याप्त।

अधिकारी

श्री. सी. शिंदे  
महाप्रबन्धक १५०३५०

पृष्ठांक सं/ १९८०

संदर्भांक: १८७५।

प्रतिरूप:-

श्री रामबाबू शर्मा, अध्यक्ष भारतीय ग्रामीण बैत्र ग्रामीण  
विकास समिति अस्तान को इनके प्राप्ति प्राप्ति दिनांक  
१५०३५० के अनुसार दृष्ट्या देखिए।



श्री. सी. शिंदे  
महाप्रबन्धक १५०३५०

No.17020/12/91-SCD(R.Cell)  
Government of India  
Ministry of Welfare.

Shastri Bhavan, New Delhi.  
Dated the 31st July, 1991.

To  
The President,  
Bhartiya Gramin Kshetra Gramsabdyog,  
Vikas Samiti, Katra Fateh Mehmed Khan,  
Itawa,  
Uttar Pradesh.

Subject: Proposal for grant-in-aid to undertake various activities like rural housing, Mini-day, tailoring training to Scheduled Caste women, drinking water etc.

Sir,

I directed to refer to your letter No. 221 dated 16.7.91 on the above subject and to request that one more copy of the proposal for grant-in-aid may be provided to this Ministry.

Yours faithfully,

(B.N.Srivastava  
Director.



महावीर प्रसाद  
MAHABIR PRASAD

गंडी  
रूद्धा, लघु और मध्यम उद्योग  
भारत राष्ट्रगार  
नई दिल्ली - 110011  
**MINISTER**  
**MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**NEW DELHI - 110011**

पंचवरी, 2009

सिय श्रीमती मीरा कुमार जी,

मैं इस पत्र के साथ श्री आर.वी. वर्मा, अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, जय नरायन वर्मा रोड, फतेहगढ़, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश से प्राप्त पत्र संलग्न कर रहा हूं जिसमें इन्होंने भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, फतेहगढ़, फरुखाबाद को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुदान दिलाये जाने का अनुरोध किया है।

मेरा आपसे आग्रह है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति को अनुदान दिलाये जाने के संबंध में समुचित कार्रवाई करने की कृपा करें।

सादर,

आपका,

(महावीर प्रसाद)

श्रीमती मीरा कुमार,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री,  
भारत सरकार,  
शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली



१०८०५८ - ४८८

१८

No. 11020/55/2008-SCD-II  
Government of India  
Ministry of Social Justice & Empowerment

✓  
Shastri Bhawan, New Delhi  
Date: 23<sup>rd</sup> June 2008

To

The Principal Secretary  
Department of Social Welfare  
Government of Uttar Pradesh  
Lucknow, Uttar Pradesh.

Sub: IR/Recommendation in respect of Bhartiya Gramin Kshetra Gramodyog  
Vikas Samiti, Farrukhabad, Uttar Pradesh - reg.

Sir/Madam,

Please refer to your letter No. 60M/26-2-2007-1(38)/98 dated 28<sup>th</sup> June 2007  
forwarding therewith inspection report of Bhartiya Gramin Kshetra Gramodyog Vikas  
Samiti, Farrukhabad, Uttar Pradesh.

As per this Ministry's Letter No 1-31/2006-Cdn dated 21-03-2007, the proposals  
including inspection reports are required to be recommended by the multi-disciplinary  
grant-in-aid committee of the State Government. The aforesaid proposal does not seem to  
have been recommended by the multi-disciplinary grant-in-aid committee of the State  
Government.

It is therefore requested that the proposal may be sent to this Ministry with the  
recommendation of multi-disciplinary grant-in-aid committee.

Yours faithfully,

L. Marandi

(L... Marandi)

Under Secretary to the Govt. of India

✓  
L.M.

